


बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ आदेश ॥

पटना-15, दिनांक-26-11-18

संख्या-12/प0-5001/17-सा0प्र0-15304 / विभागीय आदेश सं0-15213 दिनांक 22.11.2018 के द्वारा श्री राजेश परिमल, बि0प्र0से0 को0 क0- 902/11, उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं श्री कुमार देवेन्द्र प्रोजेक्ट, बि0प्र0से0, को0 क0- 922/11, उप सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग को सुपर जोनल दंडाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु की गई प्रतिनियुक्ति से मुक्त करते हुए श्री गयानन्द यादव, बि0प्र0से0, को0 क0-947/11, विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (मो0 नं0-9931597120) एवं श्री सुधीर कुमार, बि0प्र0से0, को0 क0-1109/11, उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना (मो0 नं0-9431632003) को दिनांक 27.11.2018 एवं 28.11.2018 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 30वीं बिहार न्यायिक सेवा (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा के सुव्यवस्थित, स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संचालन के लिए सुपर जोनल दंडाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है।


2. उपर्युक्त सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी दिनांक 26.11.2018 को ब्रीफिंग के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उपस्थित होंगे। साथ ही प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के उपरान्त सभी पदाधिकारी स्वतः अपने पदस्थापन वाले पद पर योगदान कर लेंगे।

  
(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/प0-5001/17-सा0प्र0-15304 / पटना, दिनांक- 26-11-18

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/सभी संबंधित विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव